



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 541]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2003/कार्तिक 15, 1925

No. 541]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2003/KARTIKA 15, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सीमा सड़क विकास बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2003

सा.का.नि. 869(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा समूह "क" भर्ती नियम, 1977 को, जहां तक कि उनका संबंध कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) तथा कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सीमा सड़क विकास बोर्ड के साधारण रिजर्व इंजीनियर बल में कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) तथा कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क इंजीनियर सेवा [कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) और कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी)] समूह "क" पद भर्ती नियम, 2003 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद
1	2	3	4	5
कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	125* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। 65 पद (जी आर ई एफ) के लिए 60 पद सेना से भरना	सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा, समूह "क"	रुपये 10000-325-15200	चयन
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	
6	7	8	9	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		
10	11	12		
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा/सेना से तैनाती द्वारा	प्रोन्नति :		
		(i) ऐसा सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य है।		
		(ii) ऐसा सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य है।		
		टिप्पण 1.—पोषक श्रेणी के सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के लिए जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को डिप्लोमा धारक है, पांच वर्ष की अर्हक सेवा लागू होगी।		
		टिप्पण 2.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता		

12

सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

सेना से तैनाती

स्तंभ 11 में निर्दिष्ट कार्मिक नीति के अनुसार सेना से समतुल्य पंक्ति के अधिकारी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिलीकरण के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड—अध्यक्ष
2. उप-महानिदेशक (कार्मिक), सीमा सड़क महानिदेशालय—सदस्य
3. निदेशक/उप-सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड—सदस्य

1	2	3	4	5
2. कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी)	53* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। 29 पद (जी आर ई एफ) के लिए 24 पद सेना से भरना।	सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा, समूह "क"	रुपये 10000-325-15200	चयन

6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

10	11	12
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा/सेना से तैनाती द्वारा	प्रोन्नति :

- (i) ऐसा सहायक कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास विद्युत या यांत्रिकी या आटोमोबाइल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य है।
- (ii) ऐसा सहायक कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास विद्युत या यांत्रिकी या आटोमोबाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य है।

12

टिप्पण 1. — पोषक श्रेणी के सहायक कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी) के लिए जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को डिप्लोमा धारक है, पांच वर्ष की अर्हक सेवा लागू होगी।

टिप्पण 2. — जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरा कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

सेना से तैनाती

स्तंभ 11 में निर्दिष्ट कार्मिक नीति के अनुसार सेना से समतुल्य पंक्ति के अधिकारी।

13

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड—अध्यक्ष
2. उप-महानिदेशक (कार्मिक), सीमा सड़क महानिदेशालय—सदस्य
3. निदेशक/उप-सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड—सदस्य

14

इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिलीकरण के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. बीआरडीबी/01/54/98/जीई-1]

अरविन्द जोशी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(BORDER ROADS DEVELOPMENT BOARD)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2003

G.S.R. 869(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Border Roads Engineering Service Group 'A' Rules, 1977 in so far as they relate to the post of Executive Engineer (Civil) and Executive Engineer (Electrical and Mechanical) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Executive Engineer (Civil) and Executive Engineer (Electrical and Mechanical) in the General Reserve Engineer Force in the Border Roads Development Board in the Ministry of Road Transport and Highways, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Border Roads Engineering Service Executive Engineer (Civil) and Executive Engineer (Electrical and Mechanical) Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and Scale of Pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of Pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No. person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that, such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Powers to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary to expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or Non-Selection post
1	2	3	4	5
1. Executive Engineer (Civil)	125* (2003) * Subject to variation dependent on workload. 65 Posts for GREF 60 Posts for manning from Army.	Border Roads Engineering Service Group 'A'.	Rs. 10,000-325-15,200	Selection
Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services under (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	
6	7	8	9	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	
Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made		
10	11	12		
Not applicable	By Promotion/By posting from Army.	Promotion : (i) Assistant Executive Engineer (Civil) with five years' regular service in the grade who possess degree in Civil Engineering or equivalent;		

(ii) Assistant Executive Engineer (Civil) with eight years' regular service in the grade who possess diploma in Civil Engineering or equivalent;

Note 1.—For the Assistant Executive Engineers (Civil) in the feeder grade who are diploma holders on the date of notification of these rules, five years qualifying service shall be applicable.

Note 2.—Where juniors, who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period of promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service.

Posting from Army :

Officers of the equivalent rank from Army as per personnel policy referred to in column 11.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

13

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:

1. Secretary, Border Roads Development Board
—Chairman.
2. Deputy Director General (Personnel) Directorate
General Border Roads —Member.
3. Director/Deputy Secretary, Border Roads
Development Board —Member.

Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules.

1	2	3	4	5
2. Executive Engineer (Electrical and Mechanical)	53* (2003) *Subject to variation dependnet on workload. 29 Posts for GREF 24 Posts for manning from Army.	Border Roads Engineering Service Group 'A'.	Rs. 10,000-325- 15,200	Selection
6	7	8	9	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	

10	11	12
Not applicable	By Promotion/By posting from Army.	<p>Promotion :</p> <p>(i) Assistant Executive Engineer (Electrical and Mechanical) with five years' regular service in the grade who possess degree in Electrical or Mechanical or Automobile Engineering or equivalent qualification;</p> <p>(ii) Assistant Executive Engineer (Electrical and Mechanical) with eight years' regular service in the grade who possess diploma in Electrical or Mechanical or Automobile Engineering or equivalent qualification.</p> <p>Note 1.—For the Assistant Executive Engineers (Electrical and Mechanical) in the feeder grade who are diploma holders on the date of notification of these rules, five years qualifying service shall be applicable.</p> <p>Note 2.—Where juniors, who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Posting from Army :</p> <p>Officers of the equivalent rank from Army as per personnel policy referred to in column 11.</p>

13	14
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> Secretary, Border Roads Development Board —Chairman Deputy Director General (Personnel) Directorate General Border Roads —Member. Director/Deputy Secretary, Border Roads Development Board —Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules.</p>

[F.No. BRDB/01/54/98/GE-I]

ARVIND JOSHI, Jt. Secy.